न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 75 / 2018

डुगरसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बिरमी तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.। मृतक
1 मोहनसिंह उम्र 52 साल पुत्र स्व. डुगरसिंह
2 किशोरसिंह उम्र 44 साल पुत्र स्व. डुगरसिंह
3 बिरजुसिंह उम्र 34 साल पुत्र स्व. डुगरसिंह निवासी बिरमी तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
4 उम्मेद कंवर उम्र 55 साल पुत्री स्व. डुगरसिंह स्त्री रणवीर सिंह
5 उच्छव कंवर आयु 50 साल पुत्री स्व. डुगरसिंह स्त्री महेन्द्र सिंह
6 मंजु कंवर आयु 48 साल पुत्री स्व. डुंगरसिंह स्त्री स्व. प्रतापसिंह निवासीगण ग्राम उड़सर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चुरू।

अपीलांटस

बनाम

1 मदन सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिरमी तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
3 तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4 तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनाकं 04.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर मुकदमा उनवानी डुंगरसिंह बनाम मदनसिंह वगै. मु.नं. (87 / 2005) 30 / 2014 दावा बाबत घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुनिल सिहाग, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विरेन्द्र सीगड़, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 2/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम बिरमी की भूमि गत खसरा नम्बर 256 हाल खसरा नम्बर 4.65 हैक्टेयर के संदर्भ में घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने न तो रेस्पोडेन्ट नम्बर 3 की ओर से पेश जवाब की प्रतिलिपि अपीलान्ट को दिलवाई व न ही किसी प्रकार की सुनवाई का अवसर दिया व न ही अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया न विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि से संबंधित अपीलान्ट/वादी द्वारा पेश दस्तावेजात व न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया गया व प्रदर्शित करवाया गय व निर्णय दिनांक 04.05.2018 पारित कर दिया। विचारण न्यायालय ने 'न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त' की पालना किये वगैर ही निर्णय पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने की वजह से निरस्त होने योग्य है। वर्तमान में ग्राम बिरमी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं की सरहद में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

स्थित भूमि गत खसरा नम्बर 256 रकबा 18 बीघा 8 बिश्वा, हाल खसरा नम्बर 550 रकबा 4.65 हैक्टेयर भूमि पर अपीलान्ट पिता गणपतसिंह ठिकाने के समय से कब्जे काश्त (टिनेन्सी) रहे है तथा उनके बाद उनके वारिसान अपीलान्ट कब्जे काश्त रहे है तथा उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था। उपरोक्त वाद पत्र वास्ते तलबी व प्रतिवादी की जवाब देही की सुनवाई में लंबित था। लेकिन विचारण न्यायालय ने राजस्व कैम्प में बिना किसी सुनवाई व सहमति व साक्ष्य लिये आनन फानन में निरस्त कर वादी का वाद पत्र खारिज कर दिया जो विरूद्ध कानून व पत्रावली है। राजस्व कैम्प में गठित लोक अदालत में किसी भी निर्णय को पारित करने से पहले पक्षकारान का सहमति पत्र व राजीनामा तस्दीक किया कानूनन आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.05.2018 को निरस्त फरमाया जाकर वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज चली आ रही है। यह भूमि पशुओं के चाराई के उपयोग में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में आती है। ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबंध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

भूमि राजस्व रिकार्ड में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के पूर्व से गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज चली आ रही है। यह भूमि पशुओं के चाराई के उपयोग में आती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में यह भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में आती है। ऐसी भूमियों पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबंध है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार य.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर